भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3228

<u>दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

एमएआई योजना

3228. श्री अनुराग शर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 1.2 लाख निर्यात ओरिएंटल इकाइयों के समक्ष विद्यमान निर्यात पर उच्च लागत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार द्वारा एमएसएमई को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) योजना के तहत प्रदान की जा रही सहायता पर्याप्त है; और
(ग) यदि नहीं, तो निर्यात के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : भारत में 1625 निर्यातोन्मुख इकाइयां (ईओयू) प्रचालन में हैं। ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) के तहत उपबंध के अनुसार राजकोषीय लाभों के लिए पात्र हैं। ईओयू के सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ईओयू की नीति और प्रचालन संरचना की आवधिक समीक्षा की जाती है।

(ख) से (ग) : बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत प्रदान की गई सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), व्यापार निकायों, आदि द्वारा की गई निर्यात सुविधा और निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों में मदद करती है। यह स्कीम भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात बाजारों में प्रवेश करने, नवाचार का पोषण करने, निर्यातोन्मुख उद्यमिता विकसित करने, आयातक बाजारों में सांविधिक विनियमों को पूरा करने, व्यापार और बाजार की आसूचना विकसित करने और उपयुक्त कौशल सेट का निर्माण करने में समर्थ बनाती है। सरकार ने संशोधित एवं संवर्धित स्कीम को 31 मार्च, 2021 के आगे पांच साल की अवधि यानी 31 मार्च, 2026 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, एमएसएमई द्वारा सहित निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए 454 प्रस्तावों के लिए स्कीम के तहत 225.56 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3264

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

3264. श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :
श्रीमती शारदा अनिल पटेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश और विदेश में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेलों की संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान आईटीपीओ की पहल से स्थापित लघु और मध्यम उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने पिछले पांच वर्षों में विदेश में 126 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आईटीपीओ ने पिछले पांच वर्षों में देश में भी 25 अंतरराष्ट्रीय मेलों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, आईटीपीओ विदेशी प्रतिभागियों सहित विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों से संबंधित तीसरे पक्ष के मेलों के लिए प्रगति मैदान में वर्ष भर खाली स्थान (हॉल आदि) और सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) एमएसएमई विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों की क्षमता का पता लगाने के लिए आईटीपीओ द्वारा विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3267

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

सेवा उद्योग

3267. श्री के.नवासखनी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेवा उद्योगों के लिए मानक बनाने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि सेवा उद्योगों को वर्तमान में महामारी के दौर से बचने के लिए विनियामक उलझनों के बजाय सहायता की अधिक आवश्यकता है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल)

(क) और (ख): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने विभिन्न सेवा क्षेत्रों, विशेष रूप से चैंपियन सेवा क्षेत्रों में भारतीय मानक तैयार करने के लिए एक समर्पित सेवा क्षेत्र प्रभाग परिषद (एसएसडीसी) की स्थापना की है। जहां भी संभव हो, भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सेवाओं की गुणवत्ता वैश्विक अपेक्षाओं से मेल खाती है।
(ग) और (घ): अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक सेवा क्षेत्र का निर्यात 204.50 बिलियन अमरीकी डालर* है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22.13 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें इस प्रकार हैं:

- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी स्कीम जिसमें स्वास्थ्य और पर्यटन, वीजा जारी करना पुन: शुरू होने के बाद 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का नि:शुल्क पर्यटक वीजा, और पर्यटक गाइड और अन्य हितधारकों को वित्तीय सहायता शामिल है।
- अधिकांश क्षेत्रों में उदारीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था जैसे संरचनात्मक सुधार।
- नोडल मंत्रालयों/ विभागों की क्षेत्रीय पहलों की सहायता करने के लिए 12 अभिज्ञात चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना '।

[* आंकडें अनंतिम हैं]

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3323

<u>दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता

3323. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त अरब अमीरात के साथ एफटीए में मूल स्थान के नियमों से संबंधित मानदंड क्या हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि तीसरे देश से वस्तुएं संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से नहीं भेजी जाएं;

(ङ.) क्या कुछ उच्च-मूल्य वाली वस्तुओं को कड़े मूल्य-संवर्धन (लगभग 40 प्रतिशत) आवश्यकताओं से बाहर रखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख)**:** हाँ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 18 फरवरी, 2022 को भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के साथ-साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। भारत-यूएई सीईपीए एक व्यापक करार है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं का व्यापार,

उत्पत्ति के नियम, सेवाओं में व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपाय, विवाद निपटान, व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, फार्मास्युटिकल उत्पाद, सरकारी प्रापण, बौद्धिक संपदा, निवेश और व्यापार, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कवर करता है। भारत-यूएई सीईपीए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में प्रोत्साहन और सुधार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत-यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन के पांच वर्षों के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।

(ग) से (च): प्रस्तावित व्यापार करार में कड़े नियमों के साथ उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) को अपनाया गया है, जिसमें अनेक कृषि कच्चे माल के लिए पूर्ण रूप से प्राप्त (डब्ल्यूओ) मानदंड स्टील के लिए मेल्ट और पोर आवश्यकता; और अधिकांश अन्य उत्पादों के लिए उत्पाद विशिष्ट मूल्यवर्धन आवश्यकताओं के साथ शुल्क वर्गीकरण (सीटीसी) में बदलाव शामिल हैं । इन सभी नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि भारत या संयुक्त अरब अमीरात में पर्याप्त संसाधन हो, जिससे करार के पक्षों के माध्यम से तीसरे देश की वस्तुओं के मार्ग की संभावना समाप्त हो जाती है। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्यवर्धन मानदंड भी विदेशी व्यापार नीति (एफ़टीपी) के साथ सिंक्रनाइज़ किए गए हैं। । इसके अलावा, उत्पत्ति के नियमों के किसी भी कथित उल्लंघन के मामले में सत्यापन तंत्र को प्रभावी प्रतिवारण के लिए कठोर और मजबूत बनाया गया है, जिसमें पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज बनाए का रखरखाव करने वाले सभी हितधारक शामिल हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3373

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रोत्साहन

3373. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात प्रोत्साहन को प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या 'विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम' को एक नए कानून से प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है जो राज्यों को उपलब्ध बुनियादी ढांचे का ईष्टतम उपयोग करने के लिए सभी बड़े मौजूदा और नए औद्योगिक परिक्षेत्रों को कवर करने के लिए 'उद्यम और सेवा केंद्रों के विकास' में भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो औद्योगिक इंक्लेव को प्रोत्साहन प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है और समय-समय पर उपयुक्त अंत:क्षेप शुरू करती है। प्रमुख स्कीम/अंत:क्षेप इस प्रकार हैं:

1. बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को नए बाजारों तक पहुंच के माध्यम से या मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के माध्यम से निर्यात में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान करती है।

2. 'विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए)', कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल भाड़ा के नुकसान को कम करने के लिए, माल भाड़ा के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करती है कार्यान्वयन के अधीन है।

3. कृषि उत्पादों के निर्यातकों को कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड की निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत भी सहायता उपलब्ध है।

4. देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए 'निर्यात हब पहल के रूप में जिलों' की पहचान की गई है।

5. निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करती है।

6. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क/करों/लेवी की छूट प्रदान करती है जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में वहन होती हैं, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट स्कीम के तहत वापस नहीं की जा रही हैं .

7. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए उपयोग बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।

8. विशिष्ट कार्य योजनाओं का अनुसरण करके सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

9. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

(ख) और (ग) : मौजूदा एसईजेड कानून को बदलने के लिए एक नया कानून लाने में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के साथ ही साथ संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल होगा। नए कानून के ब्योरे में आयोजित परामर्शों को ध्यान में रखा जाएगा।

***

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 3382
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषण

3382. श्री रवनीत सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों की खपत में भारी वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या देश में स्वर्ण के आयात में वृद्धि हई है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों की मांग को और बढ़ाने और स्वर्ण उद्योग की बेहतर निगरानी के लिए ढांचागत और अनुपालन मानदंडों में कोई बदलाव लाने का विचार है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) घरेलू बाजार में स्वर्ण और स्वर्ण - आभूषणों की खपत को मापने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण के आयात का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	स्वर्ण (गोल्ड डोर बार सहित)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
2018-19	982.71	32,910.06
2019-20	719.94	28,229.67
2020-21	651.24	34,603.94

स्रोत: डीजीसीआईएस

(घ) और (ड.) वर्तमान में स्वर्ण और स्वर्ण-आभूषणों हेतु पहले से विद्यमान के अलावा संरचनात्मक और अनुपालन मानदंडों में कोई परिवर्तन करने का नया प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार, सभी हितधारकों के परामर्श से, बाजार की स्थितियों के आधार पर लगातार नीतिगत अंत:क्षेप करती है।

----x---

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3396

<u>दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

घटिया और हानिकारक खिलौनों का आयात

3396. श्री अजय निषाद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीन से घटिया और हानिकारक खिलौने आयात किए जा रहे हैं और ये खुदरा दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे खिलौनों के आयात को रोकने और दुकानों में इनकी बिक्री को रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो चीन और अन्य देशों से आयातित उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : चीन से खिलौने, खेल, खेल उपकरणों के आयात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। चीन से इन उत्पादों का आयात 2018-19 में 451.71 मिलियन अमरिकी डॉलर से घटकर 2021 में 206.11 मिलियन अमरिकी डॉलर (अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक) हो गया है।

सस्ते और घटिया खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दिनांक 2.12.2019 की अधिसूचना संख्या 33/2015-2020 के माध्यम से प्रत्येक परेषण से नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है और गुणवत्ता परीक्षण सफल होने तक बिक्री की अनुमति नहीं है। विफलता की स्थिति में परेषण को या तो वापस भेज दिया जाता है या आयातक की लागत पर विनष्ट कर दिया जाता है।

सरकार ने 25 फरवरी 2020 को खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 भी जारी किए है जिसके माध्यम से खिलौनों को 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के तहत लाया गया है। यह क्यूसीओ घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं, जो भारत को अपने खिलौने निर्यात करना चाहते हैं,पर भी समान रूप से लागू होता है। इस क्यूसीओ के अनुसार, खिलौनों पर खिलौनों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप और बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम 2018 की स्कीम-। के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न (आईएसआई चिह्न) धारण करना अनिवार्य है और, आईएसआई मार्क के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी खिलौने का निर्माण, **आयात** , वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, बिक्री के लिए स्टोर या प्रदर्शन नहीं करेगा। बीआईएस उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत, केवल वे विदेशी विनिर्माता जिनकी विनिर्माण और परीक्षण क्षमता का मूल्यांकन बीआईएस द्वारा संतोषजनक निर्धारित किया गया है, बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार, भारत को खिलौने का निर्यात करेंगे।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस यह जांच करने के लिए बाजार निगरानी क्रियाकलापों और कारखाना निगरानी भी करता है कि लाइसेंसधारक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार संतोषजनक रुप से काम कर रहा है या नहीं और निरीक्षण और परीक्षण की स्कीम का अनुपालन किया जा रहा है। इन निगरानी निरीक्षणों के दौरान परीक्षण के लिए नमूने भी लिए जाते हैं।

****

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | **अतारांकित प्रश्न सं० 3389**

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बांस उत्पादों के लिए निर्यात नीति

3389. प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बांस उत्पादों के लिए संशोधित निर्यात नीति के अनुसार इन उत्पादों को मुक्त सामान्य लाइसेंस श्रेणी में रखा गया है और इनके निर्यात पर कोई रोक नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य बांस उत्पाद जैसे बांस का कोयला, बांस का गूदा और अप्रसंस्कृत कोपले अभी भी निर्यात नीति के तहत निषिद्ध श्रेणी में हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार द्वारा छूट प्राप्त उत्पादों में बांस का कोयला, बांस का गूदा और बांस की अप्रसंस्कृत कोपलों को भी लाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की संभावना है और मुक्त सामान्य लाइसेंस के तहत इनकी अनुमति दी जाएगी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): वैध स्रोत से प्राप्त बांस से बने बांस–उत्पादों; (बांस चारकोल, बांस गूदा और अप्रसंस्कृत बांस कोपलों को छोडकर) की निर्यात नीति 'मुक्त' है बशर्ते कि (1) निर्यातक के पास उपयुक्त दस्तावेज/उदगम प्रमाण–पत्र (सीओओ) हो जिससे यह साबित हो कि उत्पादों का बनाने में इस्तमाल किया गया बांस वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है तथा (2) उद्गम प्रमाण–पत्र (सीओओ) संबंधित राज्य जहां से हस्तशिल्प/मशीनी उत्पादों को बनाने के लिए खरीदार द्वारा बांस की खरीद की गई है, के वन विभाग/ कृषि विभाग द्वारा जारी किया गया है।

(घ) और (ड.): विभाग को बांस चारकोल, कोपलों इत्यादि की निर्यात नीति में संशोधन की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए है तथा वर्तमान में स्टेकहोल्डर और अंतरमंत्रालयी परामर्श किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.292

<u>दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

पाम ऑयल का आयात

***292. श्री विनोद कुमार सोनकर:**
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत खाद्य तेल अर्थात पाम ऑयल का विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में आयात किया जाने वाला अधिकांश पाम ऑयल एनडीपीई (नो डिफोरेस्टेशन, नो पीट, नो एक्सप्लॉइटेशन) संबंधी नीतियों के अंतर्गत शामिल नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार को मलेशिया तथा इंडोनेशिया से आयात किए गए पामोलीन की गुणवत्ता से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
(घ) क्या भारत में पाम ऑयल के आयात की कोई पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना कठिन है क्योंकि अधिकांश भारतीय उपभोक्ता तथाकथित खुला पाम ऑयल खरीदते हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ङ) मलेशिया और इंडोनेशिया से गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए कुल पाम ऑयल का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

श्री विनोद कुमार सोनकर और श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) द्वारा "पाम ऑयल के आयात" के संबंध में 23.03.2022 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 292 में उल्लिखित विवरण:

(क): जी हाँ । भारत विश्व में खाद्य तेलों अर्थात पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत के खाद्य तेलों के आयात निम्नानुसार है: -

वर्ष	मात्रा (टन)
2018-19	15019308.54
2019-20	14722123.78
2020-21	13540020.94

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

(ख) और (ग): वर्तमान में, भारत में पाम ऑयल के आयात के लिए एनडीपीई (नो डिफोरेस्टेशन, नो पीट, नो एक्सप्लॉइटेशन) नीतियों का पालन अनिवार्य नहीं है। तथापि, भारत को पाम आयल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के पास पाम ऑयल उत्पादन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणन स्कीम है। मलेशिया में उत्पादित पाम ऑयल का मलेशियाई सस्टेनेबल पाम ऑयल (एमएसपीओ) के तहत प्रमाणित होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, मलेशिया में राउंडटेबल सस्टेनेबल पाम ऑयल (आरएसपीओ) प्रमाणन भी महत्व प्राप्त कर रहा है। इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल उत्पादन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशियान सस्टेनेबल पाम ऑयल (आईएसपीओ) मानक अपनाया है। सरकार को मलेशिया और इंडोनेशिया से आयातित पामोलीन में गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ): खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) तृतीय संशोधन विनियम, 2011 के अनुसार, बहु स्रोत खाद्य वनस्पति तेलों की बिक्री की अनुमति केवल एफएसएसएआई विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से चिह्नित और लेबल किए गए कंटेनरों में हैं। तथापि, राज्य सरकारें विशिष्ट परिस्थितियों में और विशिष्ट अवधि के लिए किसी भी खाद्य तेल को इन प्रावधानों से छूट दे सकती हैं।

(ड़): पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया से कुल पाम ऑयल आयात का ब्यौरा अनुबंध में है।

(च): आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने खाद्य तेल–पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ-ओपी) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार के उपयोग द्वारा और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ा कर देश में खाद्य तेल की उपलब्धता को बढ़ाना है। एनएमईओ-ऑयल पाम की मुख्य विशेषताओं में रोपण सामग्री के लिए सहायता, 4 वर्षों की फसल विकास अवधि तक अंतर-फसल और रखरखाव के लिए इनपुट, बीज उद्यानों की स्थापना, नर्सरी, सूक्ष्म सिंचाई, बोरवेल/पंप सेट/जल संचयन संरचना, वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां, सोलर पंप, फसल कटाई उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर सह हार्वेस्टर ग्रुप्स, किसानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण, और पुराने ऑयल पॉम गार्डन आदि का पुनर्रोपण शामिल है।

****

अनुबंध

मलेशिया और इंडोनेशिया से भारत के पाम ऑयल आयात का विवरण

मीट्रिक टन में मात्रा; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

आईटीसीएच	विवरण	देश	2018-19		2019-20		2020-21	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
15132110	क्रूड पाम कर्नल ऑयल	इंडोनेशिया	67571	60.32	77868.02	54.71	46919	40.99
		मलेशिया	49426	42.09	62654.54	39.04	59789.58	58.14
15132910	रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल और इसके अंश	इंडोनेशिया	2216	2.15	2642	2.04	3944	3.32
		मलेशिया	560.4	0.57	839.63	0.71	4175.33	4.56
15111000	कच्चा पाम ऑयल और इसके अंश	इंडोनेशिया	4156999.7	2341.27	4272207.1	2548.76	4095159.5	3071.91
		मलेशिया	1712902.2	1009.41	1488524.5	828.76	2799267.3	2209.12
15119010	रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज़्ड पाम ऑयल	इंडोनेशिया	8984.88	5.67	1493.05	0.8	4838	3.82
		मलेशिया	4079.82	2.93	2266.13	1.42	-	-
15119020	रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज़्ड पामोलीन	इंडोनेशिया	1617720.8	985.48	286323.79	183.41	79783.95	56.79
		मलेशिया	696908.87	425.02	1715637.9	966.18	1695.16	1.72
15119030	रिफाइंड ब्लीच्ड डिओडोराइज़्ड पाम स्टीयरिन	इंडोनेशिया	-	-	76045	43.55	28864	22.02
		मलेशिया	-	-	11067	5.91	2971	2.17
15119090	अन्य रिफाइंड पाम ऑयल	इंडोनेशिया	51139	31.49	6836	3.66	0	0
		मलेशिया	15549.19	10.61	61044.11	31.18	298	0.4
	कुल	**इंडोनेशिया**	**5904631.4**	**3426.38**	**4723414.9**	**2836.93**	**4259508.4**	**3198.85**
		मलेशिया	**2479426.5**	**1490.63**	**3342033.9**	**1873.2**	**2868196.4**	**2276.12**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस- 2021-22 के आंकड़े अनंतिम हैं

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3271

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और यूएई के बीच व्यापार

3271. श्री अब्दुल खालेक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच व्यापार की मात्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में संयुक्त अरब अमीरात को किए जाने वाले शीर्ष पांच निर्यात कौन से हैं और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में किए जाने वाले शीर्ष पांच आयात कौन से हैं ; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में निवेश की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत और यूएई के बीच पण्यवस्तु व्यापार

बिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य				
क्र.सं.	वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार	2019-2020	2020-2021	2021-2022 (अप्रैल-जनवरी)
1	निर्यात	28.85	16.68	22.36
2	आयात	30.26	26.62	35.86
3	कुल व्यापार	59.11	43.30	58.22
स्रोत :डीजीसीआईएस				

(ख) यूएई को शीर्ष पांच निर्यात और यूएई से शीर्ष पांच आयात

(i) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान यूएई को शीर्ष 5 उत्पादों (आईटीसी-एचएस 8-अंकीय स्तर पर) का निर्यात

		मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य और हजार यूनिट में मात्रा				
एचएस कोड	विवरण	इकाई	2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
27101241	मानक के अनुरूप मोटर गैसोलीन 2796 है.	किग्रा	3273235.8	1301.5	2635673.7	1885.3
85171211	मोबाइल फोन, पुश बटन के प्रकार के अलावा	एनओएस	10028.2	962.9	13971.4	1535.4
71131910	अजडित सोने के आभूषण	किग्रा	22.2	1148.0	42.4	1523.7

71023910	डायमंड (इंडस्ट्रियल डायमंड के अलावा अन्य) कट या अन्यथा तराशा ख	सीआरटी	2320.2	954.3	3205.1	1306.4
27101290	अन्य (मोटर स्पिरिट)	किग्रा	1182287.8	523.6	1826236.8	1199.7
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस						

(ii) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान यूएई से शीर्ष 5 उत्पादों (आईटीसी-एचएस 8-अंकीय स्तर पर) का आयात

		मिलियन अमरीकी डॉलर में मूल्य और हजार यूनिट में मात्रा				
एचएस कोड	विवरण	इकाई	2020-21		2021-22 (अप्रैल-जनवरी)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
27090000	बिटुमिनस से प्राप्त पेट्रोलियम ऑयल और ऑयल	किग्रा	21883300	7361	16620281	9015
71023100	गैर-औद्योगिक हीरे अतराशे / केवल चिरान विभाजित या बीआर	सीटीएम	46781	4740	56824	7041
71081200	सोने के अन्य गैर-मौद्रिक अपरिष्कृत प्रकार	किग्रा	70	4168	83	4840
27111300	तरलीकृत ब्यूटेनस	किग्रा	2090461	985	2199860	1547
27111200	तरलीकृत प्रोपेन	किग्रा	1903094	889	2021619	1460
स्रोत: डीजीसीआई एंड एस						

(ग) यूएई में भारत द्वारा निवेश

2016-17 से 2021-22 (22 जनवरी तक) तक भारत द्वारा यूएई में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
2016-17	887.76
2017-18	398.68
2018-19	737.27
2019-20	442
2020-21	664
अप्रैल 2021-जनवरी 2022	349

******

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3286

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत

3286. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का देश-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) भारत कब तक उपरोक्त देशों और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए कर सकता है; और

(घ) उपरोक्त एफटीए से भारत को मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (ख) और (ग): भारत ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है। वार्ता के पूरा होने की समय सीमा का पूर्वानुमान करना मुश्किल है, चूँकि करार को तभी अंतिम रूप दिया जा सकता है जब वार्ता करने वाले देश परिणाम से संतुष्ट हों।

(घ): एफटीए भागीदार देशों में इनपुटो के लिए प्रतिस्पर्धात्मक पहुँच के माध्यम से घरेलू उद्योग और वर्धित बाजार पहुँच के माध्यम से निर्यातकों को लाभान्वित करेगा।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3427

दिनांक 23 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)

3427. श्री कनकमल कटारा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्थित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) और इनके लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित नीतियों की आवधिक समीक्षा करायी जाती है;

(ग) यदि हां, तो स्थान –वार उन लोक प्रतिनिधि समूहों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत वर्ष के दौरान विशेष आर्थिक जोनों में सर्वेक्षण किया है:

(घ) इनमें कौन-कौन सी अनियमितताएं पाई गयीं और इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को विशेष आर्थिक जोन के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राजस्थान में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) हैं। इन एसईजेड का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयां एसईजेड अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उपबंध किए गए राजकोषीय लाभों के लिए पात्र हैं ।

(ख) से (घ): एसईजेड नीति की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और एसईजेड की नीति और प्रचालन ढांचे पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर, सरकार आवधिक तौर पर एसईजेड अधिनियम/नियमों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

(ड.): वर्तमान में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*****

23 मार्च, 2022 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3427 का अनुबंध

राजस्थान में एसईजेड की सूची				
क्र. सं.	विकासकर्ता का नाम	स्थान	एसईजेड का प्रकार	एसईजेड स्थिति
1	जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र (आरआईआईसीओ, एसईजेड-I)	सीतापुर , जिला जयपुर , राजस्थान	रत्न और आभूषण	अधिसूचित और प्रचालन
2	जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र (आरआईआईसीओ, एसईजेड-II)	सीतापुर , जिला जयपुर , राजस्थान	रत्न और आभूषण	अधिसूचित और प्रचालन
3	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	तहसील - सांगानेर , जिला जयपुर, राजस्थान	बहु उत्पाद	अधिसूचित और प्रचालन
4	सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड	खुशकेरा औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी , राजस्थान	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर / आईटीईएस	अधिसूचित
5	जेनपैक्ट इंडिया	जयपुर , राजस्थान	आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	अधिसूचित
6	आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	एनएच-15, खरा औद्योगिक क्षेत्र के सामने, बीकानेर, राजस्थान	कपड़ा	अधिसूचित
7	मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम	कपर्दा , जोधपुर, राजस्थान	आईटी / आईटीईएस	औपचारिक स्वीकृति

******